कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं.: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-17/2016-17/

दिनांक : /09/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, जखोली

जिला- रुद्रप्रयाग

विषय : क्षेत्र पंचायत जखोली का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **02** प्रस्तर तथा STAN मे **शून्य** प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 17/2016-17/ **दिनांक: /09/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, रुद्रप्रयाग

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत जखोली पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्रीमती राजकुमारी रावत - अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्री रघुवीर सिँह राणा प्रभारी खण्ड़ विकास

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.

(ii) श्री के.वी.गुरुंग., पर्यवेक्षक

(iii) श्री आशीष मालवीय व.लेखापरीक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 27.05.2016 से 03.06.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 04/2014 से 03/2016 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. जखोली,** जनपद **रुद्रप्रयाग**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 108

भौगोलिक क्षेत्र : 17806.23 वर्ग कि0मी0

जनसंख्या :74759

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 8

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: 06 बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या : 16

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 08

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : -

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : ` 84006988/-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत जखोली, जनपद- रुद्रप्रयाग** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ., श्री के.वी.गुरुंग, पर्यवेक्षक एवं श्री आशीष मालवीय, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.05.2016 से 03.06.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर		**भाग 4(ब)-1**	**भाग4 (ब)-2**
निरीक्षण प्रतिवेदन स0 430/2014-15		**-**	**प्रस्तर 1 से 5**

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	--	शून्य
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख		-

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1(अ): इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ` 7.65 लाख की धनारशि अवमुक्त करने के उपरांत भी 12 आवासीय कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत, जखोली के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित लाभार्थियों को धनराशि अवमुक्त की गयी थी-

क्र.सं.	लाभार्थियं के नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की गयी धनराशि
1.	श्री राजपाल सिंह	75,000/-	63,750/-
2.	श्री मती बिन्द्रा देवी	75,000/-	63,750/-
3.	श्री तोता राम	75,000/-	63,750/-
4.	श्रीमती सोनदेई	75,000/-	63,750/-
5.	श्रीमती उर्मिला देवी	75,000/-	63,750/-
6.	श्रीमती रजनी देवी	75,000/-	63,750/-
7.	श्रीमती नीला देवी	75,000/-	63,750/-
8.	श्री मायाराम	75,000/-	63,750/-
9.	श्रीमती शकुन्तला देवी	75,000/-	63,750/-
10.	श्री मती सुशीला देवी	75,000/-	63,750/-
11.	श्रीमती आशा देवी	75,000/-	63,750/-
12.	श्रीमती दिलयनी देवी	75,000/-	63,750/-
	योग	**9,00,000/-**	**7,65,000/-**

उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि न तो कार्य पूर्ण होने के प्रमाण है और न ही लाभार्थियों द्वारा अन्तिम किस्त की माँग की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इन्द्रिरा आवास पंजिका में विधिवत इन्द्रराज नहीं किया गया हैं, भविष्य में विधिवत इन्द्राज कर दिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ` 7.65 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के उपरांत भी आवासीय कार्य अपूर्ण थे ।

अतः इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ` 7.65 लाख की धनारशि अवमुक्त करने के उपरांत भी 12 आवासीय कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2(अ): उत्तराखण्ड़ सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत अनुबन्ध एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत कार्य कराना।

उत्तराखण्ड़ सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत व्यूंखर में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण हेतु दिनांक 12.08.2015 से ` 4.00 लाख स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष ` 3.68 लाख का आंगणन तैयार कर दिनांक 03.03.2016 को आपातकालीन निविदा आमन्त्रित कर न्यूनतम निविदादाता से दिनांक 20.03.2016 को अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध की तिथि से 45 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना था, अनुबन्ध करते समय अनुबन्ध राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि प्रतिभूति के रुप में जमा करना अनिवार्य था तथा निर्धारित समय के अन्दर कार्य को पूर्ण न करने की दशा में 01 प्रतिशत से 10 प्रतिशत जो भी निर्धारित हो कटैती की जानी थी।

क्षेत्र पंचायत, जखोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार से दिनांक 20.03.2016 को अनुबंध करते समय जमानत राशि प्रतिभूति का 10 प्रतिशत ` 0.368 लाख के सापेक्ष 0.20 लाख प्राप्त कर अनुबन्ध किया गया था जो उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम -21 के अनुरुप नहीं था। कार्य के सापेक्ष ठेकेदार को दिनांक 29.03.2016 को ` 1.00 लाख अग्रिम भुगतान किया गया जो उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम -48(1)(2) के विपरीत था तथा बिना माप के, बिना कर एवं शुल्क कटौती के अग्रिम भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की जमानत की शेष राशि ` 0.168 लाख ठेकेदार को भुगतान के समय कटौती कर दी जायेगी। कार्य समय पर पूर्ण न होने पर ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निविदा के शर्तों एवं उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के निहित प्रावधान के विपरीत कार्य कराया गया था जो विभाग के हित, सभी प्रकार से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो नहीं की गई थी।

अतः जमानत की धनराशि पूर्ण जमा किये बिना अनुबन्ध करना, ठेकेदार को अग्रिम भुगतान करना तथा कार्य समय पर पूर्ण न करने पर अर्थदण्ड़ की वसूली न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 4(ब)2

प्रस्तर 1(ब): सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत, जखोली के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सांसद निधि एवं विधायक निधि के तहत 2015-16 में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े है जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
	सांसद निधि		
1.	जारवाल भरदार में सामु.मिनल केन्द्र शौचालय सहित	3,00,000/-	2,00,000/-
	विधायक निधि		
2.	महिला मगल दल सहरगाँव को टेन्ट आदि प्रोत्साहन सामग्री करने हेतु	50,000/-	37,500/-
3.	म.म. दल सिलगांव को प्रोत्साहन सामग्री क्रय	1,00,000/-	75,000/-
4.	म.म. दल ललूड़ी लस्या में प्रोत्साहन सामग्री	1,00,000/-	75,000/-
	योग	**5,50,000/-**	**3,87,500/-**

उपर्युक्त अपूर्ण कार्यों के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि उक्त कार्य प्रगति पर है। धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कर दिये जाएंगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य एक से तीन माह के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए थे।

अतः सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1(स):- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2015-16 के मध्य प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत, जखौली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न मदों के तहत वर्ष 2014-15 से 2015-16 के तहत प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1.	क्षेत्र पंचायत निधि	30	30,00,000/-	6,34,937/-
2.	राज्य वित्त आयोग	41	41,00,000/-	31,56,319/-
3.	13वाँ वित्त आयोग	06	3,00,000	85,000/-
	कुल योग	**77**	**74,00,000/-**	**38,76,256/-**

उपर्युक्त अपूर्ण कार्यों के बारे में लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित योजनाओं में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्यपूर्ण नहीं किये जा सके है। इकाई का उत्तर मान्य नही है। इस प्रकार उक्त अपूर्ण कार्यों पर व्यय की गई धनराशि अनुपयोगी प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2(ब): सामग्रीयों का क्रय एवं भुगतान हेतु उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली -2008 का अनुपालन न करना।

'मेरा गाँव मेरी सड़क' योजना में ग्राम पंचायत सन बागर में 375 मीटर मार्ग निर्माण हेतु ` 7.94 लाख के आगणन के सापेक्षा जिलाधिकारी द्वारा दिंनाक 12.06.2015 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित धनराशि अवमुक्त की गई थी। कार्य, मेरा गाँव मेरी सड़क एवं मनरेगा योजना के युगपितिकरण से कराया जाना था। कार्य दिनांक 19.08.2015 से प्रारम्भ कर दिंनाक 31.10.2015 को पूर्ण किया जाना था।

क्षेत्र पंचायत, जखोली के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि `1.99 लाख की सामग्री का क्रय, क्रय-समिति के माध्यम से नहीं किया गया था। जबकि उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम- 9 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अवसर पर ` 0.50 लाख से अधिक तथा ` 3.00 लाख तक की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रुप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनुवाल्य रुप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखापरीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्ता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण कर आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगा। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रुप से प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेंगें की सामग्री विशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली है एवं मुल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है। इकाई द्वारा सामग्री का भुगतान आपूर्तिकर्ता को नकद किया गया था।

लेखापरीक्षा अवधि तक कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण किये गया था। जबकि इस सम्बन्ध में खण्ड़ विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अंसन्तोष व्यक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में सामग्री क्रय हेतु अनुपालन किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सामग्री का क्रय नियमानुसार नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1(द):- विधायक निधि में बिना माप के ` 2.50 लाख का भुगतान एवं दो वर्ष बितने के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण रहना।

विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ग्राम पंचायत मुसाढुंग में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ` 3.00 लाख स्वीकृत की गई थी। भवन निर्माण हेतु दानदाता द्वारा 0.015 हेक्टेयर भूमि दिनांक 16.09.2014 को दान दी गयी थी। सामुदायिक भवन निर्माण हेतु दिनांक 25.02.2014 को कार्यादेश निर्गत किया गया था जिसे दिनांक 31.03.2014 को पूर्ण किया जाना था।

क्षेत्र पंचायत, जखोली के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा बिना माप के प्रथम भुगतान ` 1.80 लाख दिनांक 22.09.2014, द्वितीय भुगतान ` 0.50 लाख दिनांक 31.10.2014 एवं तृतीय भुगतान ` 0.20 लाख दिनांक 20.03.2015 को (कुल ` 2.50 लाख) किया गया था। भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख मस्टर रोल, बाऊचर पत्रावली में संलग्न नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की कार्य की अति शीघ्रता/आवश्यकता को देखते हुये तथा कार्य की प्रगति के सापेक्ष भुगतान किय गया है। भुगतान से सम्बन्धित बाऊचर एवं मस्टर रोल शीघ्र प्राप्त किये जायेगे तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ` 2.50 लाख तीन किस्तों में बिना मापन एवं मस्टर रोल/बाऊचर के भुगतान किया गया था तथा इस सम्बन्ध में इकाई द्वारा दिंनांक 04.01.2016 को कार्य पूर्ण करने एवं समायोजन करने हेतु कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण था।

अतः बिना मापन के तीन किस्तों में ` 2.50 लाख भुगतान करना एवं दो वर्ष बीतने के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे.प.- जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय